

क्रमांक : एफ1( )स्था/निकाशि/21/ 6317

दिनांक: 30/07/2021


1. समस्त प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
2. समस्त राजकीय विधि महाविद्यालय, राजस्थान।
3. समस्त सहायक निदेशक,  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. प्राचार्य राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर।
5. प्राचार्य राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर।

विषय:- उच्च शिक्षण संस्थानों दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा संख्या 16, 27 एवं 32 की अनुपालना एवं विशेष योग्यजन छात्रों की प्रदान की जा रही सुविधाओं के संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने हेतु स्प्रेडशीट "SPECIALLY ABLED INFORMATION" में भरे जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उच्च शिक्षण संस्थानों दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगजनों हेतु 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। जिसके सम्बन्ध में महालेखाकार कार्यालय, जयपुर राजस्थान द्वारा सूचनाएं चाही गई है :-

क्र. सं.	पद	दिव्यांगजन का नाम	पदों की संख्या	दिव्यांगता का प्रकार			
				दृष्टिबाधित	मूकबधिर	अस्थि दिव्यांग	मानसिक रूप से दिव्यांग
1	प्राचार्य/उपाचार्य/सहायक आचार्य/सह आचार्य/व्याख्याता						
2	अधिनस्थ संवर्ग						
3	मंत्रालयिक संवर्ग						
4	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग						

उक्त सूचनाएं आवश्यक रूप से दिनांक 04.08.2021 तक स्प्रेडशीट "SPECIALLY ABLED INFORMATION" में अंकित करें।


  
 30.7.2021  
 (डॉ. के.एल. सिराधाना)  
 संयुक्त निदेशक (प्रशासन)  
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ1( )स्था/निकाशि/21/ 6317

दिनांक: 30/07/2021

प्रतिलिपि -निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय।
2. रक्षित पत्रावली।

  
 30.7.2021  
 (डॉ० के. एल सिराधाना)  
 संयुक्त निदेशक (प्रशासन)  
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।